

23.9.21 पत्रावली पेशी में वकील सार्थी के सार्थी पत्र पेश काने पर ली गई। वकील सार्थी ने निवेदन दिया कि पक्षपात में आपस में राजीनामा होने के कारण नोट लेस के आधारे पर सार्थीना पत्र खारिज पारामा जावे। अवलोकन दिया गया। मूल वाद पत्र निस्तारित हो चुका है। इसलिए इस सार्थीना में कोई आवश्यकता नहीं रहती है अतः नोट लेस के आधारे पर यह सार्थीना पत्र इसी स्तर पर खारिज दिया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर टारिखल प्रस्तुत है।

()  
(अभिवाप)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना